न्यायालय माननीय श्रीमन राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

नि0 3540 – पीबीआर – 16

जाहिद पिता अब्दुल वाहिद जाति मुसलमान

धंधा व्यापार निवासी उटावद दरवाजा धार तह0 व जिला धार

..........................निगरानीकर्ता

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, एडवो. द्वारा दिनांक 07.X.16 को प्रस्तुत

बनाम

म0प्र0 शासन ....विपक्षी

7-10-16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि यथाकथित कार्यवाही जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 164/2015–16/अ–68 में की गई है जो विचाराधिकार रहित है यथाकथित राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी ने कोई रिपोर्ट उल्लेखित करते है उस रिपोर्ट में किस तारीख को वे गये मुझे सूचना दी अथवा नही दी इसका भी उल्लेख नही है ऐसी दशा में यथाकथित रिपोर्ट मेरे निजी मकान के बारे में जिसके संबंध में रजिस्टर्ड दस्तावेज है मेरा नाम दर्ज है और भूमि नोगांव चाणक्यपुरी में होकर आवासीय है रजिस्टर्ड दस्तावेज में चतुर्सीमा लिखी है जो पूर्व पश्चिम 71 फिट व उत्तर दक्षिण 15 फिट है जिसका रजिस्टर्ड दस्तावेज मेरे पक्ष में है विधिवत मंजुरी लेकर मेरा नाम है चाणक्यपुरी कालोनी के नाम से दर्ज है अतः ऐसी दशा में की गई कार्यवाही का प्रारंभ व पंचनामा रिपोर्ट व 19.07.2016 को बिना साक्ष्य के तहसीलदार महोदय धार ने अवलोकनार्थ रखी अंतिम आज्ञा 19.07.2016 है उसके पूर्व का पंचनामा रिपोर्ट 13.06.2016 की अपारित्त बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3540–पीबीआर/2016 [जाहिद / खान] **जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09.11.16	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री बी0एन0त्यागी पेनल लॉयर उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश पत्रिका दिनांक 19–7–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा उक्त आदेशिका में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जाकर प्रकरण परीक्षण हेतु राजस्व निरीक्षक को भेजा गया है, अतः उक्त आदेश म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 56 के अन्तर्गत विधिक आदेश नहीं है और ऐसे आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	